

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

तारीख रज 23/01/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का पटवारी बनाम
श्यावनी पुत्र श्यावसिंह जाति गुजर निवासी समसपुर तहसील
नख

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 9/3/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री श्यावनी ने ग्राम समसपुर को भूमि ख.न. 435 रकबा 0.50 किस्म चरागाह फसल रबि / खरीफ संवत 2014 सर्सा में कास्त कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित नहीं आया। उसके द्वारा कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया अतिक्रमी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी जो मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है। अतः अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही किया जा उचित है

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 435 रकबा 0.50 किस्म चरागाह वाके ग्राम समसपुर से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 8000/- 50 गुणा 4000/- शस्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खडी फसल सर्सा को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को नष्ट / नौलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)
तहसीलदार महवा

रजिस्टर न/व का फाइल नं. 56 पर
वर्ष 2017-18 नौलामी
की रकम 4000/-
की जांच Bechoy
दिनांक 5/3/18 निरस्त लेखाकार
तहसील-महवा